(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/6378 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-8-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 332/अपील/2014-15.

---

1. नारायण सिर्वी पिता घीसाजी सिर्वी
2. लक्ष्मण पिता घीसाजी सिर्वी
3. कैलाश पिता घीसाजी सिर्वी
4. मुन्नीबाई पिता घीसाजी सिर्वी
5. जीवलीबाई पति घीसाजी सिर्वी

निवासीगण ग्राम अमलाल
तहसील डही, जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

सखाराम पित छीतर भिलाला
निवासी ग्राम अमलाल
तहसील डही, जिला धार .....अनावेदक

श्री कैलाश पड़ियार, अभिभाषक व
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक व
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 22-8-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी, जिला धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अमलाल तहसील डही स्थित खसरा क्रमांक 311/1ख रकबा 0.164 हेक्टेयर भूमि उसकी माता तुलसीबाई के नाम से दर्ज थी । आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि बिक्री बताकर अपने नाम दर्ज करा लिया है, जबकि अनावेदक की माता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकगण के पक्ष में

कोई विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं कराया गया है । अत: इस बावत् जांच की जाकर, प्रश्नाधीन भूमि पुन: अनावेदक को दिलाया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/2010-11/अ-74 पंजीबद्ध कर, तहसील न्यायालय डही से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर दिनांक 23-2-12 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा मूल भूमिस्वामी के वारिसों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर, उक्त भूमि का कब्जा गैर आदिवासी से आदिवासी मूल भूमिस्वामी के वारिसों को दिलाए जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 15-5-15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-8-2017 को आदेश पारित कर अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के नाना संतु के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, जिसे उनके द्वारा आवेदकगण के पिता को वर्ष 1953 में विक्रय किया गया था एवं वर्ष 1953 में आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया था, जो आज तक है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण 2-10-59 के पूर्व का है, इसलिए संहिता की धारा 170(क)(ख) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त प्रावधान की आड़ में आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि से निरस्त किया गया है, जो कि अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 4876/15 में दिनांक 18-10-2016 को आदेश पारित कर कब्जे के संबंध में आवेदकगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की माता तुलसीबाई द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण से दिलाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2007-08 में दिनांक 19-3-2010 को आदेश पारित कर, उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसे अनावेदक पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है । अनावेदक द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा मनमाने रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1988 आर.एन. 169 (उच्च न्यायालय), 1995 आर.एन. 184 (उच्च न्यायालय), 1997 आर.एन. 206 (उच्च न्यायालय) एवं 2001 आर.एन. 85 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में शासन आवश्यक पक्षकार हैं, किन्तु शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है, अत: इसी आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि प्रकरण संहिता की धारा 170 मद में दर्ज हुआ है और उसी में तर्क श्रवण किये जाकर विधिवत आदेश पारित हुआ है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज अथवा पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल भूमिस्वामी के वैध वारिसों के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किये जाने के आदेश देने में कोई भूल नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त विधिसंगत आदेश को यथावत रखने में कलेक्टर द्वारा भी कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से अपील निरस्त की गई है, जो कि उचित है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रथम दृष्टया आवेदक का नाम वर्ष 1973 में खसरे के कैफियत कॉलम में दर्ज था । संहिता की धारा 170 (क)(ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त धारा में कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी सभी पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देगा तथा पर्याप्त जांच करेगा । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित कर दिया है, जबकि उसे आवेदक को अपना पक्ष/साक्ष्य रखने का समुचित अवसर और पर्याप्त अवसर देना था । कलेक्टर ने भी अपील में आदेश पारित करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया है । अत: इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण

में अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किए जाकर प्रकरण पुनः जांच तथा उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 22-8-2017, कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-5-15 एवं अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-2-12 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर